न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2026-32RAABarmer2026-05RTA223 Ise khan Vs Ali khan etc

इसे खां पुत्र बच्चे खां जाति मुसलमान निवासी जगूरों की ढाणी, सांकड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. अली खां पुत्र फकरे खां
2. गेनी पुत्री आदम खां
3. अमरी पत्नी नेकू खां
   जाति मुसलमान निवासी जगूरों की ढाणी, सांकड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
4. आशीष कल्ला पुत्र किशोरचंद कल्ला जाति ब्राह्मण निवासी जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
5. आसू पत्नी ईसे खां
6. दली पुत्री आदम खां
7. नेकू खां पुत्र बच्चे खां
8. जमी पुत्री बच्चे खां
   जाति मुसलमान निवासी जगूरों की ढाणी, सांकड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
9. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक शाखा पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
10. श्रीमान् तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर।
11. अडाणी हाईब्रिड एनर्जी जैसलमेर लिमिटेड (पहले का नाम अडाणी ग्रीन एनर्जी इघती लिमिटेड) अडाणी कोरपोरेट हाउस शान्तिग्राम, वेष्णोदेवी सर्किल के पास, सी जी हाईवे खोडियार, अहमदाबाद जरिये अधिकृत व्यक्ति धनंजय फावड़े।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 दिसंबर 2025 सहायक कलक्टर पोकरण राजस्व मूल वाद संख्या 64/2024 अनवान अलीखान व अन्य बनाम श्रीमती अमरी इत्यादि

उपस्थित–

श्री सुनील के. मेराजा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री सुरेश परिहार अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक

श्री हैदर खान मेहर, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन, पांच, सात व आठ

श्री राजदीप सिंह चौहान, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या ग्यारह

नि र्ण य

दिनांक : 07 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 64/2024 अनवान अलीखान व अन्य बनाम श्रीमती अमरी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 दिसंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 12 जनवरी 2026 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 53.5803 हैक्टेयर मौजा माधुपूरा पटवार क्षेत्र सांकडा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर में आई हुई है। वादग्रस्त आराजीयात का मौके पर मौखिक बंटवाडा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड अलग अलग हिस्से खुल्ले हुऐ है, परन्तु विधिवत रूप से बंटवाडा नहीं किया हुआ है, जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है। इसलिये वादीगण अपने हिस्से की मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाना चाहते है। वादीगण द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त आराजीयात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2025 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05 दिसंबर 2025 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाडें के सारभूत तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी पी सी नियम 5 के अनुसार अपीलांट पर सम्मन विधिवत रूप से तामिल नहीं करवाया गया है तथा अपीलान्ट के नाम से सम्मन प्रथम बार ही डाक से जारी किये गये है, परन्तु आदेशिका में सम्मन जारी करने इन्चर्ड नम्बर व तारीख अंकित नहीं है तथा उक्त सम्मन अपीलान्ट से विधिवत तामिल ही नहीं हुऐ है तथा न ही इस वाद के सबंध में कोई डाक अपीलान्ट को प्राप्त हुई थी तथा उतरदाता संख्या 1 व 2 ने डाक विभाग के कर्मचारी से मिलीभगत कर सभी पक्षकार के सम्मन फर्जी तौर से तामिल कर व गलत रूप से सम्मन की डिलीवरी होना बताकर डिलीवरी रिर्पोट अधीनस्थ न्यायालय पेश की गई, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने तामिल के बारे में बिना कोई जांच किये तथा प्रतिवादीगण को बिना कोई सूचना दिये आनन–फानन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर रेकर्डेड खातेदार अपीलान्ट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख 26.11.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पोकरण से मंगवाया गया, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभाजन के जो नियम 18 से 21 बनाये गये है, उसके अनुसार विभाजन का प्रस्ताव भूमिधारक स्वयं द्वारा मौके पर जाकर ऐसे विभाजन प्रस्ताव को तैयार करने का दिन निश्चित कर वाद प्रकरण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पक्षकारों/सहखातेदारों को लिखित सूचना इस आशय की देगा कि उक्त कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा तकासमा किया जाना है, जिस हेतु आप सभी सहखातेदार अमुक तारीख को उपस्थित रहे। किंतु वर्तमान प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक ही जगह बैठकर कागजी कार्यवाही कर बिना अपीलकर्ता को सूचना दिये ही पूर्व मौखिक बंटवाड़े के विपरीत पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाकर विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया और ऐसे विभाजन के प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलकर्ता को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का अवसर दिये ही विधि एवं तथ्यों की भूल कर अपीलाधीन डिक्री पारित की गई है जो निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 64/2024 अनवान अलीखान व अन्य बनाम श्रीमती अमरी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 दिसंबर 2025 को अपास्त किया जावे एवं मामला पुनः परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने का आदेश प्रदान करावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्तागण ने अपनी बहस मे कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद में अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक रूप से तामील करवायी गई। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार पोकरण द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व दिनांक 02.12.2025 को अपीलांट को नोटिस जारी किया गया तथा उस पर सम्यक रूप से तामील करवायी गई है। तहसीलदार द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त पक्षकारान् के कब्जे काश्त को ध्यान में रखा गया है। अपीलांट का जहां टयूबवेल बना हुआ है, वहां पर ही अपीलांट के हिस्से में भूमि रखी गई है। अपीलांट मौके पर कब्जे काश्त के विपरीत मुख्य सड़क पर पूरी भूमि लेना चाहता है जो कतई विधिसम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि पक्षकरान् द्वारा बाद विभाजन भूमि लीज पर दी जा चुकी है। अपीलांट द्वारा उक्त लीज धारक को परेशान करने के उद्धेश्य से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से तामील करवाये पाये जाते है। अपीलांट द्वारा बाद तामील विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक 26.11.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। विचारण न्यायालय की पत्रावली परा उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.12.2025 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार पोकरण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व दिनांक 02.12.2025 को पक्षकारान् को नोटिस जारी कर उन्हें सूचित करते हुए दिनांक 03.12.2025 को मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री गुणावगुण पर विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 64/2024 अनवान अलीखान व अन्य बनाम श्रीमती अमरी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 दिसंबर 2025 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर